# जैन संवाद

अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ का मुखपत्र

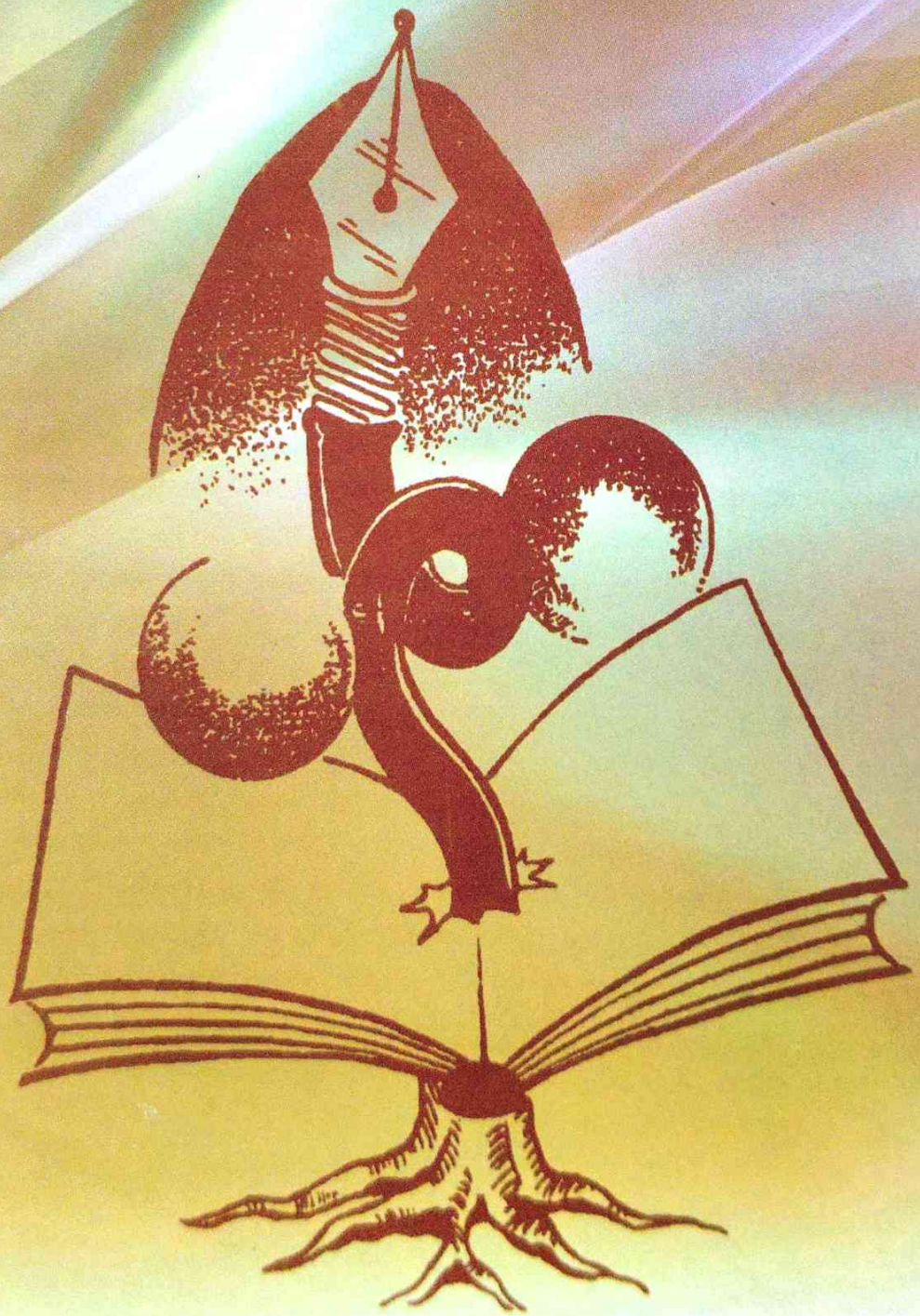

3

अखिल बंसल द्वारा सम्पादित

# अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला - श्री क्षेत्र चूलगिरि

डॉ. लाड़कुमारी जैन एवं समागत अतिथि दीप प्रज्ज्वलित करते हुए।

महामंत्री अखिल बंसल संबोधित करते हुए

जैन संवाद के नवीनतम अंक का विमोचन करते हुए अतिथिगण।

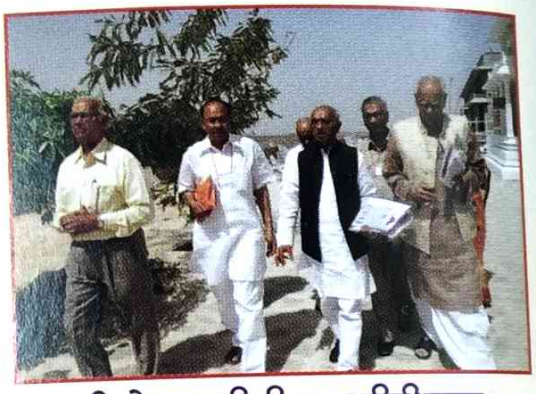

श्री क्षेत्र चूलगिरि पर अतिथिगण

डॉ. लाड़कुमारी जैन का माल्यार्पण करते हुए श्रीमती शैलबंसल।

श्री सतीश जैन एस.सी.जे. का माल्यार्पण करते हुए श्री अनूपचंद जी एडवोकेट।

श्री स्वदेश भूषण जी का माल्यार्पण करते हुए अखिल बंसल।

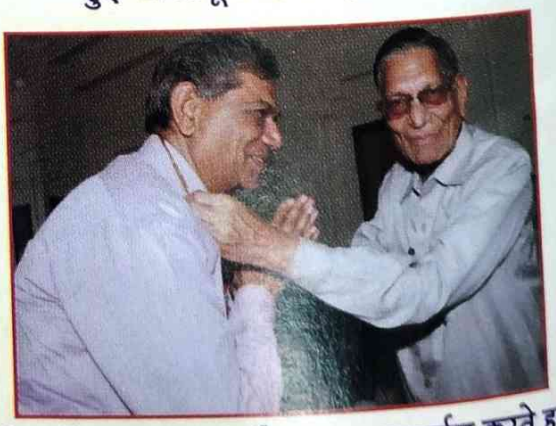

श्री अनिलपारसदास जैन का माल्यार्पण करते हुए श्री महेन्द्रकुमार पाटनी।

# जैन-संवाद

अंक – तृतीय
(जनवरी से मार्च–2013)

प्रधान सम्पादक :
**अखिल जैन 'बंसल'**

सम्पादक मण्डल :
**डॉ. चीरंजीलाल बगड़ा, कोलकाता**
**डॉ. नरेन्द्रकुमार 'भारती', सनावद**
**अनूपचन्द जैन एडवोकेट, फिरोजाबाद**

प्रकाशक :
**अ. भा. जैन पत्र सम्पादक संघ**
129, जादोन नगर–बी, दुर्गापुरा, जयपुर–302018
फोन : 0141–2722274, मो. 07737241003
E-mail : jainpatrasampadaksangh @gmail.com
वेबसाइट : wwwjainsampadaksangh

आज पत्रकारिता का व्यवसाय शोहरत से भरपूर है। यह शोहरत प्राप्त करना आसान कार्य नहीं है। इसके साथ जुड़ा है कड़ा परिश्रम और गंभीर चुनौती। सफलता के लिए आवश्यक है, भाषा पर अच्छा अधिकार, अध्ययनशीलता, अपने परिवेश के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता। कल्पनाशीलता और तनाव मुक्त होकर कार्य करने की क्षमता पत्रकारिता की उपाधि प्राप्त कर लेना मात्र सफलता की गारंटी नहीं है।

मुद्रक :
**प्रिन्टोमैटिक्स**
स्टेशन रोड़, दुर्गापुरा,
जयपुर – 302018
(0141) 2722274, मो. : 09929655786

# प्रकाशकीय

अखिल भारतीय जैन पत्र सम्पादक संघ द्वारा प्रकाशित जैन संवाद का यह तृतीय अंक आपके हाथों में देते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूं। इस अंक में डॉ. संजीव भानावत अध्यक्ष जन संचार केन्द्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का आलेख भारत के प्रमुख प्रेस कानून विषय पर केन्द्रित है जो जैन पत्र सम्पादक संघ के सदस्यों को अत्यन्त उपयोगी है। वैसे तो इस लेख की विषयवस्तु गतवर्ष सम्पन्न हुई कार्यशाला में श्री भानावतजी ने स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत की थी जिसे सम्पादक मित्रों ने काफी सराहा था।

स्व. अगरचन्दजी नाहटा का खोजपूर्ण आलेख जैन पत्र-पत्रिकाएं : पहला पुरखा तीर्थंकर के जैन पत्र-पत्रिका विषेशांक से साभार लिया गया है। इसके साथ ही विनोद कुमारजी मिश्र का प्रेस की रचनात्मक शक्ति का उपयोग इस अंक के मुख्य आकर्षण हैं।

अखिल भारतीय जैन पत्र सम्पादक संघ अभी शैशवावस्था में ही है। इस अल्प काल में इसका अपना पत्र जैन संवाद सभी पत्रकार बंधुओं के संवाद का सशक्त माध्यम बन गया है; जिसकी हमें प्रसन्नता है। इस अंक से जैन पत्रकारिता के प्रकाश स्तम्भ शीर्षक से जैन पत्रकारों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है आशा है पसंद आएगा।

गत वर्ष व्यस्तता के कारण जैन संवाद का प्रकाशन नियमित नहीं रह पाया है जिसके लिए हम सभी पाठकों से क्षमा याचना करते हैं। फेस बुक पर भी आप jain patra sampadak sangh से जुड़ सकते हैं। अगले अंक से निरंतरता बनी रहेगी -

– अखिल बंसल

# भारत के प्रमुख प्रेस कानून

□ डॉ. संजीव भानावत

भारत में पत्रकारिता को प्रारम्भ करने का औपचारिक श्रेय अंग्रेजों को दिया जा सकता है। २९ जनवरी सन् १७८० को जेम्स अगस्टस हिक्की गजट द्वारा प्रारम्भ किए साप्ताहिक "कलकत्ता जनरल एडवाटाईजर" अथवा हिक्की गजट से भारत में पत्रकारिता के श्रीगणेश की मूल प्रेरणा भले ही अंग्रेजों की रही हो किन्तु शीघ्र ही यह पत्रकारिता भारतीय जमीन से जुड़ गई और करोड़ों देशवासियों की आशा-आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब बन गयी। पत्रकारिता की यह विकास यात्रा अत्यन्त रोमांचक तथा संघर्षपूर्ण रही है।

सत्ता के दमन के विरुद्ध संघर्ष का मार्ग हिक्की गजट ने प्रारम्भ से ही प्रशस्त कर दिया था। कालान्तर में भारतीय पत्रकारिता ने इसी साहसपूर्ण मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्य एवं न्याय के पत्र में संघर्ष का बिगुल बजाया। ऐसे में सत्ता से टकराव स्वाभाविक ही था। पराधीन भारत के इतिहास के अनेक पृष्ठ अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के प्रति समाचार पत्रों की आस्था के उदाहरणों से भरे पड़े हैं। एक ओर तत्कालीन समाचार पत्र किसी प्रकार के बंधन में रहकर कार्य करने के इच्छुक नहीं थे। वहीं सरकार राष्ट्रीय और सामाजिक हितों एवं दायित्वों की आड़ में अपने स्वार्थों के पोषण के लिये प्रेस पर किसी न किसी प्रकार का नियन्त्रण बनाये रखना चाहती थी। सरकार की छत्रछाया में विकसित होती भारतीय प्रेस की गति को अवरुद्ध करने के लिए प्रयास भी लगभग दो शताब्दियों पूर्व प्रारम्भ हो गये थे। इन बाधाओं के बावजूद भारतीय प्रेस ने संघर्ष का मार्ग त्यागा नहीं। स्वतन्त्रता के उपरान्त प्रेस के विकास के नये क्षेत्र खुले।

शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में संतुलन एवं सामंजस्य बनाये रखने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। कानून नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाते हैं। प्रेस अपनी सीमाओं में रहकर राष्ट्र के व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दायित्वों के प्रति सजग रहे तथा उसकी स्वतन्त्रता कहीं उच्छृंखलता में न बदल जाए, इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर स्वतन्त्र भारत में कुछ प्रेस अधिनियम जारी किए गये।

यहाँ उन प्रमुख अधिनियमों की संक्षिप्त चर्चा की जा रही है जिनका प्रेस से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है।

## १. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता :

भारतीय संविधान में जहाँ एक ओर लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था एवं निष्ठा व्यक्त की गयी है वहां इस संविधान की प्रस्तावना में विचार स्वातन्त्र्य की भावना स्पष्टतः व्यंजित होती है। भारतीय संविधान के १६ से २२ अनुच्छेदों तक स्वतन्त्रता के अधिकारों के विविध पक्षों का उल्लेख किया गया है। उन्नीसवें अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को जो स्वतन्त्रताएं मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान की गयी हैं उनमें पहली स्वतन्त्रता वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता ही है। संविधान में प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए कोई पृथक् प्रावधान नहीं किया गया है वरन् वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में ही प्रेस की स्वतन्त्रता का अधिकार निहित है। जिस प्रकार एक आम भारतीय इस स्वतन्त्रता का उपयोग करता है उसी भाँति प्रेस भी एक नागरिक की ही भाँति इस स्वतन्त्रता का उपयोग कर सकने में सक्षम है। संविधान के प्रथम (१६५१) तथा सोलहवें (१६६३) संशोधनों के द्वारा इस स्वतन्त्रता पर सात प्रकार के प्रतिबन्ध लगाए गए हैं - १. राज्य की सुरक्षा २. विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध ३. लोक व्यवस्था ४. शिष्टाचार या सदाचार ५. न्यायालय अवमानना ६. मानहानि ७. अपराध उद्दीपन।

भारत की न्यायपालिका ने अभिव्यक्ति स्वातन्त्र को हमारी व्यवस्था का आचार भूत अंग स्वीकार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा है कि इस स्वतन्त्रता का प्रयोजन यह है कि सरकारी और सार्वजनिक अधिकारी जनता के दिमाग के अभिभावक नहीं बन सकते। अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य का मूल प्रयोजन इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपनी स्वतन्त्र राय रखने का अधिकार देना है। सभी नागरिक अपने विचारों या दृष्टिकोण को बिना दबाव के प्रस्तुत कर सकते हैं। इस स्वतन्त्रता के तहत् नागरिक को सूचना को लेने अथवा देने का भी अधिकार प्राप्त है।

सरकार द्वारा समाचार पत्रों के लिए न्यूज प्रिन्ट आवंटन में भेदभाव बरतने या पृष्ठों के अनुसार पत्र की कीमत रखने की बंदिश लगाने या विज्ञापन देने में विचार धारा के कारण भेदभाव बरतने आदि से अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बाधित होती है। वाक् स्वातन्त्र्य में विवेकपूर्ण हस्तक्षेप करने या

प्रतिबंध लगाने की अनुमति है। इसका निर्णय अन्ततोगत्वा सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय ही कर सकते हैं। सरकार द्वारा इन अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद ३२ के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय में तथा अनुच्छेद २२६ के आधार पर उच्च न्यायालय में यदि वह उसके क्षेत्राधिकार में हो तो, न्याय की मांग कर सकता है।

## (२) मानहानि :

किसी व्यक्ति की मानहानि अपराध और अपकृत्य (टोर्ट) दोनों ही है। मानहानि का अर्थ है ऐसा कथन प्रकाशित करना जो सामान्यतया समाज के सही विचार वाले सदस्यों के आकलन में किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति रखता है अथवा जिसकी यह प्रवृत्ति रहती है कि लोग ऐसे व्यक्ति से बचें या दूर रहें।

मानहानि सम्बन्धी प्रावधानों के तहत व्यक्ति की प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण सम्पदा के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रतिष्ठा की रक्षा करना व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर आघात कर उसे नष्ट करने के प्रयत्नों को कानूनी दृष्टि से अपराध माना गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अर्जित प्रतिष्ठा भौतिक सम्पत्ति नहीं है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति सम्मानपूर्वक जीवन यापन करना चाहता है। अतः समाचार पत्रकर्मियों पर यह विशेष दायित्व आ जाता है कि वे अपने लेखन में विशेष संयम बरतें ताकि उनकी लेखनी से किसी व्यक्ति की नैकनामी अथवा प्रतिष्ठा को आघात नहीं पहुँचे। समाचार पत्रों में प्रकाशित वक्तव्य अथवा आरोपों का प्रभाव भी दूरगामी तथा व्यापक होता है, अतः पत्रकारों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिये।

भारतीय दंड संहिता की धारा ४६६ में मानहानि सम्बन्धी प्रावधानों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। इस धारा में मानहानि को परिभाषित करने के साथ-साथ चार स्पष्टीकरण तथा दस अपवाद दिये गये हैं। भारतीय दण्ड संहिता की इस धारा के अनुसार मानहानि का तात्पर्य है :-

"जो कोई या तो बोले गए या पढ़े जाने के लिए आशयित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृष्य निरूपणों द्वारा किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन इस आशय से लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि की जाए, या यह पहले जानते हुए लगाता है या प्रकाशित करता है कि ऐसे लांछन से व्यक्ति की ख्याति की अपहानि

होगी, इसके बारे में कहा जाता है कि यह उस व्यक्ति की मानहानि करता है।''

स्पष्ट है राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को अपनी ईमानदारी, यश, प्रसिद्धि, मान-सम्मान आदि को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। मानहानि के अपराध में दोषी व्यक्ति पर दीवानी तथा फौजदारी दोनों ही मुकदमें चलाये जा सकते हैं तथा दो वर्ष की साधारण कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों ही सजाएं दी जा सकती है। समाचार पत्रों को इस सन्दर्भ में विशेष ध्यान रखना चाहिए। पत्रकारों का भी यह उत्तरदायित्व है कि वे रिपोर्टिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपुष्ट, अप्रामाणिक तथा सुनी-सुनायी बातों पर आधारित समाचार न भेजें। कहा जाता है, सुना गया है आदि बातें लिखने से मानहानि के दोष से नहीं बचा जा सकता। अतः तथ्यों की प्रामाणिकता तथा विश्वसनीयता की निष्पक्ष जांच करने के उपरान्त ही कोई समाचार भेजना या प्रकाशित करना चाहिये। कहा भी गया है –

निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई संपादक अथवा पत्रकार मानहानि कानून की गिरफ्त में आ सकता है।

१. व्यक्ति विशेष के व्यवसाय पर गंभीर आरोप।

२. संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध दुष्प्रचार।

३. किसी की ईमानदारी अथवा व्यावसायिक क्षमताओं पर संदेह।

४. किसी की बीमारियों, विकृतियों या दोषों की अनधिकृत चर्चा।

५. समाचारों को सनसनीखेज या चटपटा बनाने के चक्कर में गलत शीर्षक देना।

६. किसी वर्ग विशेष की जाति या धर्म पर निन्दाजनक टिप्पणी।

७. मृत व्यक्ति पर ऐसे आक्षेप लगाना जिससे उसके निकट के रिश्तेदारों की भावनाओं को ठेस पहुँचे।

८. व्यक्ति विशेष के चित्रों का अनुपयुक्त स्थान पर प्रकाशन करना।

६. व्यक्ति के नामों का गलत प्रकाशन।

इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें पत्रकार मानहानि के दोषों से बच सकता है। सार्वजनिक हित में संस्था या व्यक्ति के आचरण पर टिप्पणी की जा सकती है। वृहत्तर मानव समुदाय का हित इनमें निहित हो, इनमें निजी स्वार्थ या बदला लेने की भावना नहीं हो तो ऐसे समाचार प्रकाशित किए जाए कि ...

की पुष्टि की जा सके। पुस्तक-समीक्षा, सांस्कृतिक समारोहों की समीक्षा, प्रदर्शनियों, मेलों इत्यादि की समीक्षा पर आलोचनात्मक दृष्टि से लिखना इस कानून के अन्तर्गत नहीं आता। लेकिन यह आलोचना सद्भावना की दृष्टि से होनी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई अपराध के संदेह में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है तो उस समाचार की रिपोर्टिंग में अपराधी व्यक्ति के नाम के पूर्व ''कथित'' शब्द का प्रयोग करना चाहिये। हम उस व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं मान सकते जब तक कि वह न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया हो।

मानहानि दो रूपों में हो सकती है :

लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप में। जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान का भाव उत्पन्न हो वह अपवचन कहलाता है। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध लिखित या प्रकाशित रूप में मिथ्या आरोप लगाया जाए या उसका अपमान किया जाए तो यह अपलेख होता है।

## (३) न्यायालय की अवमानना :

भारत का संविधान जहां वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता प्रदान करता है वहीं यह भी कहता है कि इस अधिकार का उपयोग करने में न्यायालय की अवमानना न की जाए। वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के मौलिक अधिकार पर जो युक्तियुक्त प्रतिबन्ध लगाए गए हैं उनमें न्यायालय की अवमानना सम्बन्धी प्रतिबन्ध भी सम्मिलित किया गया है।

न्यायालय की अवमानना का कानून अत्यन्त व्यापक है। किंचित असावधानी पत्रकारों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। न्यायालय की अवमानना का यह कानून न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता एवं पवित्रता में आम आदमी के विश्वास को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस कानून के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में कोई व्यक्ति न्यायालय की अवमानना का दोषी हो सकता है।

१. न्यायालय के न्यायाधीश पर अनौचित्य और अयोग्यता का आरोप लगाया जाए अथवा उनके चरित्र हनन का प्रयास किया जाए।

२. न्यायपालिका की प्रतिष्ठा, गरिमा, अधिकार अथवा निष्पक्षता पर संदेह प्रकट किया जाए।

३. न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर ऐसी टिप्पणियाँ प्रकाशित की

जाए जिससे उन मामलों के संदर्भ में आम जनता भ्रमित हो या किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो।

४. विचाराधीन मामलों में सम्बन्धित जज, पत्रकारों तथा साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाए अथवा उन पर किसी प्रकार के आक्षेप लगाये जाएं।

५. न्याय प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना या उसमें बाधा पहुँचाना।

६. गवाहों को किसी प्रकार की धमकी देना।

७. पुलिस पूछताछ में रुकावट डालने का प्रयास करना।

८. न्यायाधीश की आज्ञा के विरुद्ध अदालत की कार्यवाही अथवा अभियुक्त के चित्र का प्रकाशन।

९. चोरी छिपे अदालत की कार्यवाही की रिपोर्ट का प्रकाशन।

१. अदालत की कार्यवाही का गलत एवं तथ्यों को तोड़-मरोड़कर भ्रामकरूप से प्रकाशित करना।

न्यायालय की अवमानना का अभिप्राय दीवानी एवं फौजदारी अवमानना से है। दीवानी अवमानना का तात्पर्य जानबूझकर अदालत के निर्णय, डिग्री, निर्देश, आदेश रिट अथवा अन्य अदालती प्रक्रिया की अवज्ञा या अदालत में दी गयी शपथ का उल्लंघन करने से है। फौजदारी अवमानना से तात्पर्य ऐसे प्रकाशन से है जो न्याय प्रशासन में बाधा पहुँचाता हो या उसकी बाधा पहुँचाने की प्रवृत्ति हो जिससे न्यायालय की गरिमा और प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

न्यायालय की अवमानना का दोषी पाए जाने पर छः माह की कैद या दो हजार रुपया जुर्माना अथवा दोनों सजाएं दी जा सकती है। वस्तुतः भारतीय समाचार पत्र एवं पत्रकारों ने इस कानून की अनुपालना के प्रति पूर्ण सावधानी बरती है। समाचार पत्र आयोग की भी यह धारणा है कि भारतीय समाचार पत्र न्यायालयों की प्रतिष्ठा का ध्यान रखने के प्रति सजग रहे हैं। जो कुछ अपराध हुए हैं वे अधिकार न्यायालय अवमानना विधि की जानकारी न होने के कारण हुए हैं, न कि न्याय में बाधा पहुँचाने या न्यायालयों की प्रतिष्ठा पर आघात पहुँचाने के अभिप्राय से जानबूझकर किए गए हैं।

## (४) भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम १९२३ :

भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन के दौरान भारतीय प्रेस ने जनमत निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता

तथा सार्वभौमिकता की रक्षा में पत्र और पत्रकार की रचनात्मक भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। अभिव्यक्ति स्वातन्त्र्य के नाम पर देश की सुरक्षा व एकता से खिलवाड़ की छूट प्रेस को नहीं दी जा सकती। भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम राष्ट्रीय हितों की रक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया है।

लोकतंत्र में जानने के अधिकार की सार्थक स्थापना महत्वपूर्ण है। सफल लोकतंत्र की यह महती आवश्यकता भी है। प्रेस परिषद् तथा भारतीय विधि संस्थान के संयुक्त तत्त्वावधान में किए गये अध्ययन में इसके सम्बद्ध पत्रों की विस्तृत विवेचना की गयी है। खुली सरकार या ओपन गर्वनमेन्ट की अवधारणा पर विचार करते हुए इस अध्ययन में कहा गया है कि सरकार के दो प्रमुख अंग विधायिका और न्यायपालिका खुले रूप में कार्य करते हैं। विधायिका अपने चुने हुए प्रतिनिधियों की आपसी बहस के माध्यम से कार्य करती है, जहाँ तक जनता तथा प्रेस की पहुँच है। इसी भाँति न्यायपालिका भी मुकदमों का निर्णय खुली अदालत में सभी प्रश्नों को सुनने के बाद देती है। ये विभाग प्रायः अपना कार्य गुप्त रूप से नहीं करते। दूसरी ओर कार्यपालिका अपना कार्य गुप्त चैम्बरों में करती है जहाँ तक शायद ही जनता की पहुँच होती है।

समाज एवं राष्ट्र के व्यापक हितों को दृष्टिगत रखते हुए कुछ ऐसे पक्ष हो सकते हैं जहाँ गोपनीयता अपेक्षित होती है। जैसे - व्यक्तिगत गोपनीयता, पुलिस में गोपनीयता, आर्थिक योजनाओं में गोपनीयता, विदेशी राष्ट्रों के साथ संवदेनशील मसलों पर गोपनीयता, व्यावसायिक गोपनीयता आदि। इस प्रकार सार्वजनिक हित में गोपनीयता स्वीकार की जा सकती है। विवेच्य कानून के तहत निम्नलिखित परिस्थितियों में गोपनीयता भंग करने के आरोप में दण्डित किया जा सकता है -

१. राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की दृष्टि से निषिद्ध स्थानों पर पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश करना तथा उनके सन्दर्भ में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी प्रकार की जानकारी शत्रु पक्ष को देना।

२. निषिद्ध स्थानों पर जाकर वहाँ के ऐसे स्कैच, प्लान, मॉडल या फोटो बिना पूर्व अनुमति के नहीं लिए जा सकते तथा ना ही प्रकाशित किए जा सकते हैं जिनसे शत्रु पक्ष को किसी भी प्रकार की जानकारी मिल सके।

३. भारतीय गणतन्त्र की प्रभुसत्ता, अखण्डता तथा सार्वभौमिकता को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के प्रयास इस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।

४. विदेशी एजेण्टों से संपर्क या सम्पर्क का प्रयास जिससे राष्ट्रीय हितों पर आंच आती हो।

५. स्वयं को छद्म रूप से अथवा गलत रूप से सरकारी अधिकारी बताना।

६. सरकारी मुहरों, चित्रों, गुप्त योजनाओं आदि को अनधिकृत व्यक्ति को सौंपना।

७. विभागीय अनुमति के बिना सरकारी मोहरों आदि का प्रयोग।

८. सेना के तीन अंगों थल, नौ तथा वायुसेना अथवा अन्य किसी सरकारी अधिकारी की निर्धारित वेशभूषा बिना कानूनी अधिकार के पहनना तथा उससे मिलती जुलती वेशभूषा पहनकर स्वयं को अधिकृत अधिकारी सिद्ध करने का प्रयास करना।

९. पासपोर्ट, नौसैनिक, हवाई सैनिक, पुलिस या राजकीय पास, सर्टिफेकेट, लाइसेन्स आदि में किसी भी प्रकार का अनधिकृत परिवर्तन का प्रयास करना।

१०. सरकारी मोहरों आदि का गैरकानूनी निर्माण या विक्रय का प्रयास।

११. अनधिकृत रूप से सरकारी दस्तावेजों को अपने पास रखना अथवा जानबूझकर विभागीय निर्देशों के उपरान्त भी उन्हें अधिकृत व्यक्ति को न सौंपना।

इस कानून के तहत जो पूरे भारत में सभी सरकारी कर्मचारियों पर तथा विदेशों में रह रहे भारतीयों पर लागू है, ३ वर्ष से १४ वर्ष तक जेल की सजा दी जा सकती है। निषिद्ध क्षेत्रों के आस-पास नियुक्त सेना के जवानों अथवा पुलिस अधिकारी के कार्यों में बाधा पहुँचाना भी दण्डनीय अपराध है तथा तीन वर्ष की कैद अथवा दोनों सजाएं इस परिस्थिति में दी जा सकती हैं।

प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के आदेश पर संदिग्ध स्थान पर छापा मार कर स्थिति की जांच की जा सकती है तथा वहाँ उपस्थित व्यक्तियों की तलाशी ली जा सकती है, एवं उपलब्ध दस्तावेज आदि भी जब्त किए जा सकते हैं।

भारतीय सरकारी रहस्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर पत्र विशेष की प्रतियाँ जब्त की जा सकती है तथा पत्र का प्रकाशन भी बन्द किया जा सकता है।

## (५) संसदीय विशेषाधिकार :

संसद एवं विधान मण्डलों की स्वतन्त्रता, गरिमा एवं प्राधिकार की रक्षा करने हेतु तथा सांसदों एवं विधायकों को उचित प्रकार बिना किसी अवरोध के अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद १०५ तथा १६४ के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद १०५ तथा १६४ के तहत् संसद तथा विधान मण्डलों को दिए गए विशेषाधिकार समान हैं। अनुच्छेद १०५ संसद से संबंधित है तो अनुच्छेद १६४ विधान मण्डलों से।

संसद अथवा विधानमण्डलों के सदस्यों को विश्व के प्रायः सभी देशों में कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत में ये विशेषाधिकार हमारी शासन व्यवस्था में सन् १८८३ से किसी न किसी रूप में विद्यमान है। भारत सरकार अधिनियम १६१६ के लागू होने पर इन विशेषाधिकारों को वैधानिक मान्यता मिली।

१६२५ में सिविल प्रक्रिया संहिता में किए गए संशोधन से संसद अथवा विधान मण्डल के सदस्यों को सिविल मामलों में गिरफ्तारी से उन्मुक्ति प्रदान की गई। इस संशोधन के प्रावधान के अनुसार किसी सदस्य को संसद के अधिवेशन अथवा किसी समिति की बैठक के दौरान तथा उसके प्रारम्भ होने के १४ दिन पूर्व और बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।

भारत सरकार अधिनियम १६३५ में सदस्यों के सीमित विशेषाधिकारों का प्रावधान किया गया :

१. सदन में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता।

२. शासकीय कार्यवाही में किसी भी प्रकाशन के लिए उन्मुक्ति।

३. सदन अथवा उसकी किसी बैठक के दौरान तथा उसमें ३१४ दिन पूर्व और बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तारी से छूट।

४. पंच के रूप में कार्य करने से विमुक्ति।

संसद एवं विधान मण्डलों की स्वतन्त्रता, गरिमा एवं प्राधिकार की रक्षा करने हेतु तथा सांसदों एवं विधायकों को उचित प्रकार से बिना किसी अवरोध के अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उन्हें भारतीय संविधान १०५ तथा १६४ के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं। अनुच्छेद १०५ के अनुसार -

१. इस संविधान के उपबन्धों के और संसद की प्रक्रिया का विनिमय

करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद में वाक् स्वातन्त्र्य होगा।

२. संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गये किसी मत के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और कोई व्यक्ति, संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी रिपोर्ट, पत्र मतों या कार्यवाही के प्रकाशन के सम्बन्ध में इसप्रकार उत्तरदायी नहीं होगा।

३. अन्य बातों से संसद के प्रत्येक सदन की ओर प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होगी जो संसद समय-समय पर विधि द्वारा परिनिश्चित करें और जब तक वे इसप्रकार संशोधन अधिनियम १९७८ की धारा १५ के प्रवृत्त होने के ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थी।

४. जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है उनके सम्बन्ध में खण्ड (१) खण्ड (२) और (३) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिसप्रकार वे संसद के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

संवैधानिक उपबन्धों के आधार पर वर्तमान समय के कुछ प्रमुख विशेषाधिकारों की चर्चा इसप्रकार की जा सकती है –

**१. संसद में वाक्स्वतन्त्रता :**

संसदीय लोकतन्त्र की सफलता तब ही सम्भव है जब संसद के सदस्य सदन में अपनी बात निर्भीक होकर स्पष्ट रूप से कह सकें। अतः विचारों की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है कि सदस्यों को इस बात का भय नहीं रहे कि संसद में उनके कथन पर किसी प्रकार से उन्हें दण्डित किया जा सकता है।

अभिव्यक्ति की यह स्वतन्त्रता इंग्लैण्ड में १६२९ में स्थापित की गई थी। यह स्वतन्त्रता सर जॉन इलियट के मामले के बाद तय की गई थी। ब्रिटेन में संसद में किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी भी बात पर दीवानी अथवा फौजदारी मामला किसी भी अदालत में दायर नहीं किया जा सकता। भारत सरकार अधिनियम १९१९ के द्वारा यह व्यवस्था भारत में लागू की गई किन्तु संसदीय समितियों में यह अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता नहीं दी गई थी। समितियों के लिए भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के द्वारा यह प्रावधान किया गया।

स्वतन्त्र भारत में भी यह अभिव्यक्ति का अधिकार सदस्यों को दिया गया है। संसद या उसकी किसी समिति में कही हुई किसी बात या दिए गए मत के आधार पर किसी भी न्यायालय द्वारा उस पर कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसद अथवा विधानसभा में सदस्य के बोलने अथवा कार्य करने पर किसी प्रकार का बन्धन नहीं है। लेकिन इस स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि सदस्य जो चाहे वैसा बोलने या करने लगे। इस स्वतन्त्रता को संविधान के उपबन्धों तथा कुछ नियमों के आधार पर नियन्त्रित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य अकारण, निराधार एवं गलत आरोपों से व्यक्तियों की रक्षा करना है। इन पर सभा के अध्यक्ष के ही निर्देश लागू होते हैं। अध्यक्ष ---- विशेष को भाषण बन्द करने, उसके अभीष्ट, अश्लील, अपमानजनक अथवा असंसदीय शब्दों को कार्यवाही से निकालने, सदस्य को सदन का त्याग करने का आदेश दे सकता है। अध्यक्ष यदि चाहे तो सदस्य को सदन की सेवा से निलम्बित करने हेतु सभा में मतदान के लिए प्रस्ताव रख सकते हैं।

सदस्यों की इस स्वतन्त्रता पर एक अन्य संवैधानिक प्रतिबन्ध भी है। इस प्रतिबन्ध के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के कर्त्तव्य पालन के सन्दर्भ में किए गए आचरण पर सदन में किसी प्रकार भी बहस नहीं हो सकती। न्यायपालिका की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक भी है।

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से जुड़े कुछ अन्य विशेषाधिकार हैं –

१. सदन के सदस्यों या अधिकारियों को सदन की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।

सदस्य की सहमति के बिना (जिसकी उपस्थिति आवश्यक हो) तथा सभा की अनुमति के बिना सभा के सदस्यों या अधिकारियों को दूसरे सदन या उसकी समिति या राज्य के विधान मण्डल के सदन या उसकी समिति के सामने साक्षी के रूप में उपस्थित होने को बाध्य नहीं किया जा सकता।

२. सदन को अजनबियों को बाहर निकालकर गुप्त रूप से अपनी कार्यवाही चलाने का अधिकार है।

## (२) गिरफ्तारी की स्वतन्त्रता

इस विशेषाधिकार के तहत सदन के सत्र के दौरान अथवा उससे चालीस दिन पूर्व अथवा पश्चात् तक सदस्यों को दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी सदस्य की गिरफ्तारी, कारावास या

रिहाई के सम्बन्ध में सदस्यों को तुरन्त सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना सदस्यों को ''परिसर'' से तात्पर्य सभा भवन सभा कक्ष, गलियां, केन्द्रीय हॉल और उसके कक्ष समितियों के कमरे संसदीय पुस्तकालय, सदस्यों के जलपान गृह संसद भवन और उसके भवनों में लोकसभा के कार्यालय इन विभिन्न कमरों तक जाने के रास्ते तथा बरामदे, संसद भवन सम्पदा तथा संसद के रास्ते आते हैं।

पुलिस हिरासत में रखे गए सदस्य को यह अधिकार है कि वह अध्यक्ष या किसी संसदीय समिति के सभापति के नाम पत्र लिखे। यदि इन पत्रों पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाती है तो यह सदस्य के विशेषाधिकार का हनन माना जाएगा। यदि जेल से कोई सदस्य अन्य किसी सदस्य को पत्र लिखे और सरकार उसे रोक ले तो यह विशेषाधिकार हनन नहीं होगा। बिना किसी बाधा या अवरोध के सांसदों को अपना कार्य कर सकने की दृष्टि से उन्हें पुलिस द्वारा बुरे व्यवहार से भी स्वतन्त्रता मिली हुई है। संसदीय दायित्वों के निर्वहन के लिए आते समय अथवा जाते समय सदस्यों पर किया गया आक्रमण भी विशेषाधिकार हनन है।

## (३) संसदीय कार्यवाही का प्रकाशन :

संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही के मूल रूप से सही प्रकाशन करने पर किसी भी व्यक्ति पर न्यायालय में दीवानी या फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसलिए सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट प्रकाशित करते समय यथार्थता, सम्पूर्णता तथा निष्पक्षता का ध्यान रखना चाहिए। सदन की कार्यवाही को तोड़-मरोड़कर उस पर अनुचित तथा चिन्ताजनक टिप्पणी करके तथा संसद की कार्यवाही से निकाली गई बातों को प्रकाशित करने पर विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। सदस्य विशेष पर व्यक्तिगत द्वेष के कारण लगाए गए आरोप, उसके आचरण पर द्वेष पूर्ण टिप्पणी आदि सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है। संसद की गुप्त कार्यवाही तथा दस्तावेजों के सदन में पेश किये जाने से पूर्व ही प्रकाशित कर देना संसद की मानहानि बनता है।

फिरोज गांधी कानून या संसदीय कार्यवाही प्रकाशन संरक्षण अधिनियम १९५६ के द्वारा पत्रों को संसद की कार्यवाही को प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया। इस कानून की धारा ३ में यह उपबन्ध किए गए हैं कि :

(१) उपधारा (२) में उपबन्धित दशा को छोड़कर कोई भी व्यक्ति

किसी न्यायालय में किसी समाचार पत्र में संसद के दोनों में से किसी सदन की कार्यवाही के मूलत सच्चे विवरण के प्रकाशन के लिए किसी दीवानी या फौजदारी कार्यवाही का मानी नहीं होगा जब तक कि यह प्रमाणित न कर दिया जाए कि प्रकाशन द्वेष की भावना से किया गया है।

(२) उपधारा (१) में किए गए उपबन्ध का मतलब यह नहीं लिया जाएगा कि वह किसी ऐसी सामग्री के प्रकाशन का संरक्षण प्रदान करता है जिसका प्रकाशन सर्वसाधारण की भलाई नहीं करता है।

उपर्युक्त अधिनियम रेडियो/दूरदर्शन से प्रसारित संसद की कार्यवाही पर भी लागू होता है। आपातकाल के दौरान दिसम्बर, १९७५ में यह कानून निरस्त कर दिया गया था जिसे १९७७ में पुनः लागू कर दिया गया। संविधान में किए गये ४४वें संशोधन (१९७८) के आधार पर संविधान में नया अनुच्छेद ३६१ जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद में उपबन्धित किया गया है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो संसद के किसी सदन की कार्यवाही की सारतः सही रिपोर्ट प्रकाशित करता है, किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही दीवानी या फौजदारी नहीं की जाएगी जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि प्रकाशन दुर्भावना से किया है।

## (५) समाचार-पत्र पुस्तक पंजीकरण नियम १८६७

१८६७ में जारी समाचार पत्र एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम की प्रमुख धाराएं इसप्रकार हैं :-

१. प्रत्येक प्रकाशित पत्र पर मुद्रक, प्रकाशक तथा जहां से वह छपता है का उल्लेख स्पष्ट रूप से होना चाहिए।

२. जिला, प्रेसीडेंसी तथा डिविजनल मज़िस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त होने पर ही मुद्रक पत्र छाप सकता है।

३. पत्र के मालिक और सम्पादक का नाम पत्र के प्रत्येक अंक पर अंकित होना चाहिए।

४. मुद्रक और प्रकाशक को पत्र की भाषा और काल की जानकारी देते हुए पत्र के मालिक का लिखित अधिकार पत्र घोषणा पत्र के साथ संलग्न कर उस पर जिला, प्रेसीडेन्सी या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

५. पत्र के नाम, भाषा, काल, सम्पादक, प्रकाशक आदि में होने वाले परिवर्तन की सूचना सम्बन्धित अधिकारियों को देकर नया आज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

६. घोषणा पत्र की स्वीकृति के बाद यदि कोई साप्ताहिक पत्र छः सप्ताह तक तथा अन्य समाचार पत्र तीन माह तक प्रकाशित नहीं हो पाता है तो आज्ञा 'पत्र रद्द या बेकार या अमान्य हो जाएगा।

७. घोषणा पत्र उस स्थिति में बेकार या अमान्य हो जाएगा यदि तीन महीने की अवधि में दैनिक, साप्ताहिक, अर्ध साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र अपनी नियमित संख्या के आधे से भी कम प्रकाशन होने लगे।

८. एक वर्ष की अवधि तक पत्र का प्रकाशन न होने पर भी घोषणा पत्र रद्द हो जाएगा।

९. कभी गलती से किसी पत्र के अंक में उसके सम्पादक का नाम गलत छप गया है और वह यह दावा करे कि उक्त अंक का सम्पादक वह नहीं था तो उसे चाहिए कि वह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत करके तत् सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उससे प्राप्त कर ले।

१०. मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है कि वह प्रेस रजिस्ट्रार या अन्य किसी व्यक्ति की मांग पर पूरी तरह जांच पड़ताल का आदेश देकर पत्र का घोषणा पत्र अमान्य घोषित कर दे।

११. यदि किसी पत्र का घोषण पत्र रद्द कर दिया गया है तो वह रद्द करने की ६० दिन की अवधि के मध्य अपील करने का अधिकारी है, इसके बाद नहीं।

१२. प्रत्येक प्रकाशित पत्र की एक प्रति प्रेस रजिस्ट्रार को तथा दो प्रतियाँ राज्य सरकार को निःशुल्क भेजनी होगी।

१३. प्रेस नियम की अनुपालना न करने की स्थिति में पत्र के सम्पादक तथा मुद्रक पर दो हजार रुपये का जुर्माना तथा छः माह की सजा दी जा सकती है।

१४. पत्र के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक न रहे तो इस विषय की सूचना मजिस्ट्रेट को तुरन्त देनी आवश्यक है, अन्यथा दो सौ रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

१५. सरकार और प्रेस रजिस्ट्रार को प्रकाशित अंक की प्रतियाँ न भेजने पर पचास-पचास रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है।

१६. प्रेस रजिस्ट्रार को पत्र का पूरा विवरण प्रत्येक वर्ष भेजना आवश्यक है और प्रेस रजिस्ट्रार के संकेत पर उसे पत्र में छापना भी होगा।

१७. प्रेस रजिस्ट्रार को गलत सूचनाएं भेजने पर पांच सौ रुपये का दण्ड दिया जा सकता है।

१८. केन्द्र सरकार की अनुमति लेकर राज्य सरकार किसी भी समाचार पत्र पर प्रेस कानून को आंशिक अथवा सम्पूर्ण रूप से लागू न करने की विज्ञप्ति सरकारी गजट में जारी कर सकती है।

१९. यह प्रेस कानून पूरे भारत में लागू एवं मान्य होगा।

वस्तुतः उपर्युक्त कानून के पीछे यही उद्देश्य है कि मुद्रित पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा नियत समय पर निकलने वाली पत्र-पत्रिकाओं की स्थिति का मूल्यांकन समय-समय पर होता रहे। इन कानूनों के अभाव में ना तो प्रकाशन की नियमितता पर नियन्त्रण रखा जा सकता है और ना ही भारत में इनकी स्थिति का लेखा जोखा स्पष्ट हो सकता है। प्रेस रजिस्ट्रार विभिन्न प्रकाशनों के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य कर इनके विकास में ही योगदान की पृष्ठभूमि तैयार करता है।

## (६) प्रेस कौंसिल एक्ट, १९७८ :

भारत में समाचार पत्रों तथा समाचार समितियों के स्तर में सुधार एवं विकास तथा प्रेस की स्वतन्त्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने की आवश्यकता महसूस करते हुए भारतीय संसद द्वारा १९७८ में "प्रेस कौंसिल एक्ट" पारित किया। इस अधिनियम के अन्तर्गत निहित कौंसिल में एक अध्यक्ष तथा २८ सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा की गई। अध्यक्ष के मनोनयन के लिए गठित समिति के सदस्यों में राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष तथा कौंसिल के सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य होता है। अन्य २८ सदस्यों में विभिन्न वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने हेतु इसप्रकार की रूपरेखा तय की गई -

(१) १३ सदस्य श्रमजीवी पत्रकारों में से। इनमें से ६ समाचार पत्रों के सम्पादकों में से तथा शेष ७ सदस्य सम्पादकों के अतिरिक्त।

(२) ६ सदस्य समाचार पत्र प्रबन्ध या व्यवसाय में रत व्यक्तियों में से। छोटे मध्यम तथा बड़ी श्रेणी के समाचार पत्र प्रबन्धकों में से प्रत्येक में से दो दो सदस्यों का चुनाव।

(३) एक सदस्य समाचार समितियों से सम्बद्ध व्यक्तियों में से।

(४) तीन सदस्य शिक्षा और विज्ञान, कानून, साहित्य, संस्कृति आदि क्षेत्रों से। इनमें एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, एक बार कौंसिल तथा एक साहित्य अकादमी में से।

(५) पाँच सदस्य संसद में से चुने जाते हैं जिनमें से तीन का मनोनयन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा तथा दो का राज्यसभा के सभापति द्वारा होता है।

**कौंसिल के उद्देश्य :**

(१) समाचार पत्र तथा समाचार समितियों की स्वतन्त्रता को कायम रखना।

(२) समाचार पत्रों समितियों तथा पत्रकारों के उच्च स्तर के अनुरूप आचार संहिता तैयार करना।

(३) पत्रकारिता व्यवसाय से सम्बन्धित व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना तथा जनसेवा की भावना को विकसित करना।

(४) समाचार पत्रों, समाचार समितियों तथा पत्रकारों की तरफ से जनरुचि के स्तर को बनाए रखने का विश्वास दिलाना तथा नागरिक के अधिकारों व उत्तरदायित्वों की भावना को घोषित करना।

(५) महत्वपूर्ण तथा जनरुचि के समाचारों के प्रेषण पर सम्भावित अवरोधों पर दृष्टि रखना।

(६) भारतीय समाचार पत्र तथा समाचार समिति को मिलने वाली विदेशी सहायता का मूल्यांकन करना।

(७) विदेशी समाचार पत्रों, जिनमें दूतावासों तथा अन्य विदेशी प्रतिनिधि संस्थाओं आदि द्वारा भी निकाले गए पत्र सम्मिलित हैं के प्रसार तथा प्रभाव का अध्ययन करना।

समाचार पत्र या समाचार समिति के उत्पादन, प्रकाशन में संलग्न विभिन्न वर्गों के व्यक्ति के मध्य समन्वय स्थापित करना।

कौंसिल को उन शिकायतों पर विचार करने का पूरा अधिकार है जिनसे यह प्रतीत होता है कि समाचार पत्र, समाचार समिति सम्पादक अथवा पत्रकार आदि ने आचार संहिता के विरुद्ध अथवा कोई भी ऐसा कार्य किया हो जिससे इस व्यवसाय की प्रतिष्ठा व पवित्रता पर आंच आई हो। दूसरे पत्र को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार देने के उपरान्त कौंसिल अपना निर्णय देती है तथा शिकायत के सही पाए जाने पर पक्ष विशेष को दण्डित कर सकती है। उल्लेखनीय है कि न्यायालय में विचाराधीन मामलों पर कौंसिल को विचार करने का अधिकार नहीं है।

कौंसिल के अध्यक्ष अथवा सदस्य अथवा उसके निर्देशन में कार्यरत व्यक्ति द्वारा यदि सद्भावना पूर्ण कोई कार्यवाही इस एक्ट के तहत् की जाती है तो उसके विरुद्ध अदालत में याचिका अथवा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है। कौंसिल को प्रतिवर्ष अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करनी पड़ती है।

**(७) कृति स्वाम्य अधिनियम, १९५७ :**

भारतीय कृति स्वाम्य कानून वस्तुतः लेखकों और प्रकाशकों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेखक एवं प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना किसी भी कृति का कोई अंश या उसका खण्ड प्रकाशित करना या लेखक की रचना को प्रकाशित करना इस कानून का उल्लंघन माना गया है। किसी लेखक की रचना को अपनी बताकर प्रकाशित करना अथवा लेखक की पूर्व अनुमति के बिना उसके नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना भी कृति स्वाम्य कानून का उल्लंघन है। वस्तुतः इस कानून के द्वारा लेखक की कविता, कहानी, नाटक, संगीत, चलचित्र ग्रामोफोन रिकॉर्ड आदि में निहित उसके स्वामित्व को स्वीकार किया गया है। लेखक के जीवन काल तथा उसकी मृत्यु के ५०-६० वर्ष बाद तक यह कानून उस पर लागू रहता है।

वस्तुतः श्रम, बुद्धि और कला के द्वारा उत्पन्न किसी कृति को कॉपी राइट कानून के अन्तर्गत वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी है। समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा पत्रकारों को इस दिशा में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। वैसे समाचारों पर कृति स्वाम्य कानून लागू नहीं होता। समाचार पत्रों का तो काम ही समाचार प्रदान करना है। किन्तु फिर भी समाचारों के प्रस्तुतिकरण की शैली तथा शब्द चयन की मौलिकता के द्वारा स्वतः ही इस कानून की गिरफ्त से बचा जा सकता है। नेताओं आदि के सार्वजनिक भाषणों पर भी यह कानून लागू नहीं होता। हां समाचार पत्रों में प्रकाशित लेखादि तथा चित्रों पर यह कानून लागू हो सकता है। चित्रों के प्रकाशन के पूर्व सामान्यतः समाचार पत्र प्रेस फोटोग्राफर्स, एजेन्सियों से अनुबन्ध कर लेते हैं। चित्रों के साथ में समाचार समिति या फोटोग्राफर का नाम प्रकाशित कर दिया जाता है। यदि समाचार पत्रों में आपसी समझौता है तो ऐसे चित्र एक से अधिक पत्रों में भी छापे जा सकते हैं। पुस्तक समीक्षा करते समय अपने कथन की पुष्टि में दिए गए उदाहरणों पर भी यह कानून लागू नहीं होता। निबन्ध आदि लिखते समय यदि कृति विशेष के उदाहरणों की आवश्यकता पड़ती है तो उसमें उदाहरण का पूरा स्तोत्र तथा पुस्तक का नाम, लेखक का नाम आदि का यथा स्थान उल्लेख कर देना चाहिए। अदालती कार्यवाही का समाचार की दृष्टि से प्रयोग भी इस कानून की दृष्टि से अनुचित नहीं है। किसी भी रचना का नाट्य रूपान्तर कर उसका प्रदर्शन अथवा अन्य विधि द्वारा भाषा में, परिवर्तन न कर या शब्दों

के बिना ही जैसे नृत्य आदि के रूप में अथवा मूकाभिनय द्वारा प्रदर्शन करना इस कानून के अन्तर्गत निषिद्ध है। अपनी कृति का यदि लेखक संक्षिप्तिकरण करता है तो उस पर भी कॉपीराइट लागू होगा। संक्षिप्त रचना मौलिक कार्य की श्रेणी में तभी आएगी जब उसमें लेखक की कलात्मक प्रतिभा, परिश्रम और निर्णयात्मक शक्ति का परिचय मिले। रचना के अनुच्छेदों का संकलन मात्र मौलिक कार्य नहीं है।

**कॉपीराइट कानून में संशोधन :**

भारतीय कॉपीराइट कानून में १९८४ में दो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। प्रथम संशोधन इस एक्ट में नयी धारा १९ए जोड़कर किया गया। इस संशोधित धारा के अनुसार कोई विवाद यदि हस्तान्तरण प्रलेख या कॉषीराइट के हस्तान्तरण की किसी शर्त के सम्बन्ध में उत्पन्न होती कॉपीराइट बोर्ड विवाद के सम्बन्ध में किसी भी पक्ष द्वारा शिकायत प्राप्त करने पर और आवश्यक होने पर जांच पड़ताल करने के बाद यदि वह उचित समझे तो ऐसा आदेश दे सकता है जिसमें कॉपीराइट के स्वत्वाधिकारी को हस्तान्तरण प्रलेख को भंग करने की अनुमति का आदेश भी शामिल है। यदि हस्तान्तरण प्रलेख की शर्तें उसके लिए कड़ी है या यदि प्रकाशक ने उसकी पुस्तक के प्रकाशन में अनायास देर कर दी तो स्वत्वाधिकार के बकाये की रायल्टी की वसूली के सर्टिफिकेट जारी कर सकता है।

एक अन्य संशोधन के अनुसार निगम संकायों के स्वत्वाधिकार वाली पुस्तकों के लिए भी कॉपीराइट की अवधि निर्धारित कर दी गयी। इसी के अनुसार ऐसी किसी पुस्तक के विषय में जिसका प्रथम प्रकाशन सरकारी अथवा किसी संवैधानिक निकाय के द्वारा हो, सरकार अथवा वह सार्वजनिक निकाय इस कॉपीराइट का स्वत्वाधिकारी की अवधि ६० वर्ष होगी। नये संशोधित प्रावधान (धारा १७) के अनुसार जो वक्ता किसी विषय पर भाषण करता है, वह वक्ता ही उस भाषण के कॉपीराइट का पहला स्वत्वाधिकारी होगा, चाहे उसका भाषण किसी भी संस्था के द्वारा आयोजित किया गया हो। कॉपीराइट के धारक वक्ता की आज्ञा या अनुमति के बिना व्याख्यानों या भाषणों के संकलन प्रकाशित करना उचित नहीं माना जाएगा। कॉपीराइट कानून में एक अन्य प्रमुख संशोधन पुस्तकों की चोरी, तस्करी और जालसाजी को रोकने सम्बन्धी था। प्रायः देखा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय, स्तर पर नकली तथा जाली पुस्तकों को छापा जाता है। इस कारण लेखक को रॉयल्टी तथा सरकार को कर की हानि उठानी

पड़ती है। इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए इस कानून में विशेष सजा का प्रावधान किया गया। इस अपराध के लिए छः माह से तीन साल तक की सजा तथा ५० हजार से २ लाख तक के जुर्माने की व्यवस्था की गयी है।

जालसाजी को अब हस्तक्षेप योग्य तथा गैर जमानती अपराध घोषित कर दिया गया है। नवीनतम संशोधन के अनुसार अब सब इन्सपेक्टर अथवा इससे ऊँचे पद का धारक कोई भी पुलिस अधिकारी इस बात के प्रति आश्वस्त होने पर कि पुस्तक के छापने में प्रकाशन के अथवा लेखक के कॉपीराइट हितों को आघात पहुँचाने वाली कोई कार्यवाही की गई है, बिना मजिस्ट्रेट के वारण्ट प्राप्त किए हुए ऐसी पुस्तक की सारी प्रतियां तथा छपाई के काम आने वाली प्लेटें जब्त कर सकेगा। जब्ती के तुरन्त बाद ही उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष यह सामग्री पास प्रस्तुत करनी होगी। कॉपीराइट हनन को अब आर्थिक भी घोषित कर दिया गया है।

## (८) श्रमजीवी पत्रकार कानून, १९५५ :

श्रमजीवी पत्रकारों की नौकरी, कार्य के घण्टे, ग्रेच्युटी भुगतान आदि से सम्बन्धित एक कानून १९५५ में बनाया गया। इस कानून के तहत पत्रकारिता व्यवसाय से सम्बद्ध संपादक, समाचार सम्पादक, उपसम्पादक, फीचरलेखक, रिपोर्टर, संवाददाता, कार्टूनिस्ट, समाचार फोटो ग्राफर, प्रूफरीडर आदि को श्रमजीवी पत्रकार के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। प्रतिष्ठान के पूर्णतया व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक एवं निरीक्षण कार्यों में रत व्यक्ति श्रमजीवी पत्रकार की श्रेणी में नहीं माने गए।

इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी श्रमजीवी पत्रकार को नियोजक द्वारा नौकरी से पृथक किया जाता है तो उसे सम्पादक को छः माह पूर्व तथा अन्य श्रमजीवी पत्रकार को ३ माह पूर्व नोटिस देना होगा। ग्रेच्युटी के भुगतान के सन्दर्भ में भी इस कानून में विशेष प्रावधान रखे गये हैं।

समाचार पत्र प्रतिष्ठान में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार की सेवाएं नियोजक द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं, अथवा वह पेंशन की आयु प्राप्त कर लेता है तथा यदि दस वर्ष से कार्यरत कोई श्रमजीवी पत्रकार की सेवाएं नियोजक द्वारा समाप्त कर दी जाती हैं, अथवा वह पेंशन की आयु प्राप्त कर लेता है तथा यदि दस वर्ष से कार्यरत कोई श्रमजीवी पत्रकार स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है अथवा सेवारत पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है वे ग्रेच्युटी के भुगतान के हकदार हो जाते हैं।

मृत्यु होने पर श्रमजीवी पत्रकार द्वारा मनोनीत व्यक्ति तथा यदि किसी का मनोनयन नहीं किया गया तो उसका परिवार वे सभी लाभ एवं अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जिनका प्रावधान औद्योगिक विवाद कानून १९४९ में किया गया है। नौकरी से हटा दिए जाने, सेवा निवृत्ति, त्याग-पत्र अथवा मृत्यु पर प्रत्येक सेवारत वर्ष के पन्द्रह दिन के औसत वेतन का भुगतान ग्रेच्युटी के रूप में किया जायेगा। श्रमजीवी पत्रकारों को लगातार चार सप्ताह में १४० घण्टे से अधिक कार्य करने को बाध्य नहीं किया जा सकता। प्रत्येक सात दिन की अवधि में २४ घण्टे का लगातार विश्राम दिया जाना आवश्यक है।

इस एक्ट के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि श्रमजीवी पत्रकारों को प्रस्तावित अवकाशों तथा आकस्मिक अवकाशों की सुविधा के अतिरिक्त अर्जित अवकाश तथा चिकित्सा अवकाश का लाभ भी मिलेगा। अर्जित अवकाश पूरी की गई कार्यविधि के १/११ भाग से कम नहीं होंगे तथा इस अवधि का पूरा वेतन दिया जाएगा। चिकित्सा अवकाश आधे वेतन पर पूरी की गई कार्यावधि का १/१८ भाग से कम दिनों के नहीं होंगे। श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन आदि के बारे में समय-समय पर विचार करने हेतु एक वेतन मण्डल का भी गठन किया गया है इसमें दो व्यक्ति समाचार पत्र प्रतिष्ठान के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें से एक उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश (सेवारत अथवा सेवानिवृत्त) होता है जो इस मण्डल का सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष होता है।

## (९) मुद्रण रेखा :

सम्पादक और मुद्रण के दायित्वों को कानूनों की दृष्टि से वैध बनाने के लिए समाचार पत्र के किसी पृष्ठ पर (साधारण तथा अन्तिम पृष्ठ के किसी कोने पर) संपादक, मुद्रक एवं कार्यालय का नाम तथा पता का विवरण देने का नियम है। इस विवरण को मुद्रण रेखा कहा जाता है।

## (१०) डाक और तार अधिनियम, १८८५ :

इस अधिनियम की धारा ५(२) सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को किसी भी तार के संदेश को रोकने का अधिकार प्रदान करती है कि सार्वजनिक संकट अथवा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी इस बात के लिए संतुष्ट हो कि भारत की प्रभुता तथा अखण्डता राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण

सम्बन्धों या सार्वजनिक व्यवस्था या अपराधी को रोकने के लिए यह आवश्यक अथवा उचित है तो वह कारणों का लिखित उल्लेख करते हुए आदेश देकर तार द्वारा दिए जाने वाले संदेश या प्राप्त संदेश को रोक सकता है। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के प्रेस सन्देश जो भारत में प्रकाशित किए जाने के लिए हों तो उन्हें रोका नहीं जायेगा यदि वे इस उपधारा के अंतर्गत प्रतिबंधित नहीं किए गए हों।

इस अधिनियम की सार्वजनिक इमरजेन्सी संविधान के अनुच्छेद ३२५ में वर्णित इमरजेन्सी नहीं है। इसके अंतर्गत क्षेत्र विशेष में अशांति को अधिक भड़काने वाले या इसके प्रभाव को अन्य क्षेत्र में फैलाने वाले संदेशों तथा अफवाहों को रोकना है। श्री आर.सी.एस. सरकार इस अधिनियम को अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का बंधन नहीं मानते हुए कहते हैं कि इस उपधारा का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट होता है कि सरकार को प्राप्त शक्तियाँ उन्मुक्त नहीं है, इस पर अनेक नियंत्रण हैं। पहला इस अधिकार का प्रयोग सार्वजनिक इमरजेन्सी तथा सार्वजनिक सुरक्षा के हित में ही किया जा सकता है। दूसरे इस अधिकार का प्रयोग सरकार अथवा अधिकृत अधिकारी, निश्चित आधारों पर जो इस उपधारा में स्पष्ट किए गए हैं, ही कर सकता है। ये आधार जैसे भारत की प्रभुता तथा अखण्डता, राज्य की सुरक्षा आदि अनुच्छेद १९ (१) के द्वारा कवर होते हैं। अतः इस उपधारा के प्रावधान अनुच्छेद १९(१) (ए) में प्रवक्त अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की गारंटी का अतिक्रमण नहीं करते। तीसरे इस अधिकार का प्रयोग लिखित कारण बताते हुए जारी आदेश के द्वारा ही किया जा सकता है। अंतिम यह उपधारा अधिस्वीकृत संवाददाताओं द्वारा प्रेषित प्रेस सन्देश पर लागू नहीं होती जब तक कि उनका प्रेषण विशेष रूप से अतिबंधित नहीं किया गया हो। द्वितीय प्रेस आयोग ने भी इस अधिकार के औचित्य को स्वीकार करते हुए सरकार के अधिकार को मान्यता प्रदान की है। इसके साथ आयोग ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।

## ११. भारतीय डाकतार अधिनियम, १८६८ :

इस अधिनियम की धारा २० के अनुसार अभद्र तथा अश्लील सामग्री को डाक द्वारा भेजने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसी डाक जिस पर या जिसके लिफाफे पर अभद्र, अश्लील, राजद्रोहात्मक, निन्दात्मक, धमकाने वाले अथवा उत्तेजक शब्द, संकेत अथवा डिजाइन हो नहीं भेजी जा

सकती। यदि उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसी सामग्री भेजी जाती है जो डाक को रोक लेने का तथा केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार उसका निपटारा किया जा सकता है। इस अधिनियम की धारा २६ सरकार अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी को सार्वजनिक इमरजेन्सी, सार्वजनिक सुरक्षा के हित या शान्ति के समय किसी वस्तु को रोकने या आदेशानुसार उसे निपटाने का अधिकार प्रदान करती है। यदि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में कोई सन्देश की स्थिति उत्पन्न हो तो केन्द्रीय सरकार का प्रमाण पत्र उस प्रश्न पर निर्णायक सबूत माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि वह यह तय कर सके कि संकटकालीन परिस्थितियाँ हैं या नहीं तथा डाक को रोकनी है या नहीं।

आचार्य एवं प्रभारी जन संचार केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय

## स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान

स्वतंत्रता संग्राम में पत्रकारिता की परम्परा और भी परवान चढ़ती गई। वह चाहे क्रांतिकारियों का आन्दोलन हो या गांधीजी का सत्याग्रह – ये अखबार उनके माध्यम थे। जन-जागरण के अग्रदूत थे। रोज जमानत मांगी जाती थी, रोज-रोज पुलिस छापे मारती थी, सम्पादक का एक पांव जेल में रहता था। सम्पादक और पत्रकार जनता का आदमी था और जनता की भाषा के साथ, हिन्दी के साथ, एक गहरी प्रतिबद्धता थी उसकी। अपनी मातृभाषा के गौरव से उद्दीप्त थी वह पत्रकारिता। तेजस्वी पत्रकारों की एक लम्बी परम्परा – महावीरप्रसाद द्विवेदी, बालमुकुन्द गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, गणेश शंकर विद्यार्थी, बाबूराव विष्णु पराडकर, कृष्णकान्त मालवीय, कमलापति त्रिपाठी, रामरिख सहगल, बेचन शर्मा 'उग्र', बनारसीदास चतुर्वेदी, अम्बिकाप्रसाद बाजपेयी – अखबार तब रोज से ज्यादा विचार का वाहक था।

**– डॉ. धर्मवीर भारती**

# जैन पत्र–पत्रिकाएं : पहला पुरखा

□ अगरचन्द नाहटा

अल्पसंख्यक होने पर भी भारतीय समाज में जैन समाज का उल्लेखनीय स्थान है। वह मुख्यतया एक व्यापारी समाज है जो प्रतिवर्ष धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यों पर करोड़ों रुपए खर्च करता है। सारे देश में सभी प्रांतों में जैन समाज फैला हुआ है। पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन की दृष्टि से भी यह समृद्ध है। छोटे से जैन समाज में जितनी अधिक पत्र–पत्रिकाएं विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती हैं, संभवतः इतनी जनसंख्या वाले किसी अन्य समाज में उनकी इतनी विपुल संख्या नहीं है। ४० वर्ष पूर्व मैंने जैन समाज की पत्र–पत्रिकाओं के सिलसिले में सबसे पहले खोज की थी और ओसवाल नवयुवक (मई १९३७) में 'जैन समाज के वर्तमान सामयिक पत्र' शीर्षक से मेरा लेख प्रकाशित हुआ था इसमें उस समय तक की ज्ञात ५९ पत्र–पत्रिकाओं का विवरण दिया था। इसके साथ ही मैंने भूतकालीन जैन पत्र–पत्रिकाओं के संबंध में भी जानकारी आकलित की थी जो जैन सिद्धान्त भास्कर (जून १९३८) में 'भूतकालीन जैन सामयिक पत्र' शीर्षक लेख के अन्तर्गत प्रकाशित हुई थी। इसमें ११७ भूतकालीन और ६६ वर्तमानकालीन इस तरह कुल १८३ जैन पत्र–पत्रिकाओं का अकारादि क्रम से संयोजन किया गया था। यद्यपि उस समय मेरे जितनी भी जैन पत्र–पत्रिकाएं देखने में आयीं उन सबका सम्पूर्ण विवरण एक कॉपी में लिख लिया था। विवरण में मैंने पत्र का नाम, सम्पादक, प्रकाशक का पता, भाषा, सम्प्रदाय, वार्षिक चंदा, प्रकाशन अवधि, प्रवेशांक का प्रारंभ का समय और बंद हो जाने का सन्नय इत्यादि आवश्यक तथ्य नोट कर लिए थे, परन्तु इतना सारा विवरण लेख रूप में प्रकाशित होना संभव न देख केवल नामावली ही उक्त लेख में प्रकाशित कर सका था। उक्त विवरण वाली वह कॉपी अब भी हमारे विशाल संग्रह में कहीं पड़ी होगी, पर उसका जल्दी मिलना लगभग असंभव ही है; इसलिए मेरे उक्त लेख में 'सबसे पहला जैन पत्र कौन सा, कब, कहां से प्राप्त हुआ, इस संबंध में जो भी लिखा था उसे जानकारी के लिए यहां उद्धृत कर रहा हूं।

जैन सामयिक पत्र संबंधी अभी तक कोई खोज हुई ज्ञात नहीं है, अतः सर्वप्रथम जैन पत्र कौन सा और कब निकला, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता फिर भी मेरे अन्वेषण में जितनी पत्र–पत्रिकाओं का पता

चलता है उनमें जैन दिवाकर सबमें प्राचीन है। यद्यपि इसकी कोई फाईल अथवा अंक अवलोकन में नहीं आने से इसके प्रकाशन की निश्चित तारीख ज्ञात नहीं हुई तथापि 'मुद्रित जैन श्वेताम्बर ग्रंथ गाइड' और 'जैन साहित्य नो संक्षिप्त इतिहास' से ज्ञात हुआ है कि उक्त मासिक पत्र वि.सं. १९३२ (१८७५ ई.) में अहमदाबाद के छगनलाल उमेदचंद द्वारा प्रकाशित हुआ था। भाषा संभवतः इसकी गुजराती रही होगी। जैन दिवाकर करीब १९ वर्षों तक निकला था।

इसके बाद वि.सं. १९३३ (१८७६ ई.) में रा. केशवलाल शिवराम द्वारा जैन सुधारस नामक पत्र निकला पर संभवतः वह वर्ष भर ही चला होगा। उक्त दोनों पत्र श्वेताम्बर जैन समाज द्वारा गुजरात से गुजराती भाषा में निकले थे। इसके बाद वि.सं. १९४१ (१८८४ ई.) माघ मास से जैन नाटककार डाह्याभाई धोलशाजी के निरीक्षण में श्री जैनधर्म प्रवर्तक सभा, अहमदाबाद द्वारा स्याद्वाद सुधा नामक पत्र निकला और इसके कई वर्ष बाद वि.सं. १९४१ वैशाख में जैन हितेच्छु सभा, भावनगर द्वारा जैन हितेच्छु निकला। ये सभी पत्र अब बंद हैं।

दिगम्बर जैन पत्र-पत्रिकाओं में सर्वप्रथम १८८४ ई. में बा. जीयालालजी द्वारा फर्रुखनगर से जैन (हिन्दी) और जीयालाल प्रकाश (उर्दू) साप्ताहिक प्रकाशित हुए। जैन का वार्षिक मूल्य साढ़े तीन रुपए था। जैन हिन्दी जैन पत्र-पत्रिकाओं में संभवतः सर्वप्रथम होगा। इसके बाद दिगम्बर जैन सम्प्रदाय का जैन बोधक और श्वेताम्बर सम्प्रदाय का जैनधर्म प्रकाश निकले जो अब भी निकलते हैं।

मेरे संदर्भित लेख के प्रकाशन के पश्चात् १९५० ई. में हैदराबाद के बैंकटलाल ओझा द्वारा सम्पादित 'हिन्दी समाचार पत्र सूची, भाग १ का प्रकाशन हुआ जिसमें सन् १८२५ से १९२५ अर्थात् पूरे १०० सालों की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं की संक्षिप्त सूची (अकारादि क्रम से संयोजित) अन्य आवश्यक विवरण के साथ दी गई है। इस सूची में लगभग १०० जैन पत्र-पत्रिकाओं का विवरण भी समाविष्ट है। उक्त ग्रंथ में २५ ऐसी जैन पत्र-पत्रिकाओं के नाम भी हैं जिनका मेरी सूची में उल्लेख नहीं हो सकता है। चूंकि मेरी सूची गुजराती आदि भाषाओं में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं की एक संक्षिप्त नामावली थी, अतः उसमें संख्या का सीमित होना स्वाभाविक था।

बैंकटलाल ओझा ने अपने प्रथम भाग की पूर्ति के रूप में १९५५ ई. में 'हिन्दी समाचार पत्र निर्देशिका' नामक एक और पुस्तक प्रकाशित की।

इसमें भी कुछ जैन पत्र-पत्रिकाओं के नाम हैं। इस तरह ये दोनों पुस्तकें जैन पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित अच्छी जानकारी देने वाली हैं। इसके अनुसार हिन्दी में सबसे पहली जैन पत्रिका १८८० ई. में प्रयाग से जैन पत्रिका के नाम से प्रकाशित हुई। अतः अब तक जो भी जानकारी प्रकाश में आयी है उसके अनुसार सबसे पहली जैन पत्रिका गुजराती में जैन दिवाकर के नाम से अहमदाबाद से छगनलाल उमेदचंद द्वारा वि.सं. १९३२ अर्थात् १०२ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुई और हिन्दी में जैन पत्रिका शीर्षक से ९७ वर्ष पहले प्रयाग से।

वर्तमान जैन पत्र-पत्रिकाओं से संबंधित मेरे कुछ लेख जैन जगत आदि पत्रों में प्रकाशित हो चुके हैं। इसीतरह अन्य कई महानुभावों ने जैन पत्र-पत्रिकाओं की सूचियां प्रकाशित की हैं, किन्तु इन्होंने सब पत्रों के अंक स्वयं देखे नहीं हैं; यही कारण है कि इनमें अनेक भूलें और भ्रांतियां, कमियां और खामियां रह गई हैं। दिल्ली से प्रकाशित जैन प्रकाश में जैन पत्र-पत्रिकाओं की जो सूची छपी थी उसके संशोधन, परिवर्द्धन में मैंने पर्याप्त श्रम से एक लेख तैयार किया था, भेजा भी था, किन्तु वह प्रकाशित नहीं हो पाया। वीर परिनिर्वाण दिल्ली में जैन पत्र-पत्रिकाओं की जो सूची प्रकाशित हुई थी, उसके संबंध में भी मैंने कतिपय संशोधनात्मक सूचनाएं भेजी थीं, किन्तु वे भी प्रकाशित नहीं की गयीं। जोधपुर से प्रकाशित पत्र शांति ज्योति में एक सूची छपी थी, उसके संशोधन में मेरा लेख उस पत्रिका में छप चुका है।

जैन पत्र-पत्रिकाओं की सबसे बड़ी सूची बाड़मेर के श्री भूरचन्द जैन ने एक लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशित की है जिसमें १७५ पत्र-पत्रिकाओं की नामावली दी है पर वह निर्दोष नहीं है। इसमें से कई पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो चुका है, कुछ के नाम सम्मिलित होने से छूट गए हैं तथा कुछ नाम जैन पत्रों के नहीं हैं। वास्तव में जैन समाज सारे देश में जहां-तहां बसा हुआ है, इसीलिए अनेक छोटी-मोटी पत्रिकाएं कभी इधर कभी उधर से निकल आती हैं; ऐसी स्थिति में सही और पूरी जानकारी करना संभव नहीं है। जहां तक संभव हो इस क्षेत्र में खोजरत व्यक्तियों को इन पत्र-पत्रिकाओं के अंक मंगाकर उनके आधार पर व्यापक और सम्यक् विवरण तैयार करना चाहिए।

वर्तमान में जो जैन पत्र-पत्रिकाएं निकल रही हैं, उनमें सबसे पुराना गुजराती मासिक है जैन धर्म प्रकाश, जिसे वहां का जैन धर्म प्रचारक सभा

प्रकाशित कर रही है। इसके बाद दिगम्बर समाज के सोलापुर से मराठी में प्रकाशित जैन बोधक का नमा आता है, तदनन्तर आता है हिन्दी में प्रकाशित जैन गजट का। इसी तरह सूरत से प्रकाशित जैन मित्र और भावनगर से प्रकाशित जैन। ये दोनों ही साप्ताहिक क्रमशः हिन्दी और गुजराती भाषाओं में नियमित निकल रहे हैं। दिगम्बर जैन द्विभाषिक पत्र है जो हिन्दी और गुजराती दोनों में निकल रहा है। स्थानकवासी कांफ्रेंस का साप्ताहिक जैन प्रकाश हिन्दी और गुजराती में अलग-अलग क्रमशः दिल्ली और मुम्बई से निकल रहा है। ऊपर ऐसे ही पत्रों का उल्लेख किया गया है जो कम से कम साठ की उम्र पार कर चुके हैं। क्योंकि इतने लम्बे समय तक किसी पत्र-पत्रिका का प्रकाशन कोई मामूली बात नहीं है। कई जैन पत्र तो इतने अल्पायु होते हैं कि एक वर्ष भी ठीक से पूरा नहीं कर पाते और काल कवलित हो जाते हैं। जैन पत्र-पत्रिकाएं नित नई-नई निकलती रहती हैं। मेरे सामने ऐसी कुछ पत्रिकाएं हैं जो एक वर्ष के भीतर ही चालू हुई हैं ये हैं : जैन पथ प्रदर्शक (विदिशा), जैन दिवाकर (रतलाम), मालबोद्धारक (रतलाम), युवा स्तम्भ (चण्डीगढ़), श्रमण भारती (आगरा), जैन जागरण (रायपुर), समाचार पत्रक (कोलकाता, मई ७७ में इसका एक विशेषांक आया है, किन्तु यह कबसे प्रकाशित है इसका उल्लेख नहीं है)।

जैन पत्र-पत्रिकाएं ७ भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में प्रकाशित होती हैं। भारतीय भाषाएं हैं - हिन्दी, उर्दू, गुजराती, मराठी, बंगला, कानड़ी, तमिल। इन भाषाओं में प्रकाशित अनेक जैन पत्र-पत्रिकाओं के पुराने अंक मेरे संग्रह में हैं। इसीतरह कोलकाता में श्री पूर्णचन्द्र नाहर के संग्रह में भी जैन पत्र-पत्रिकाओं के दुर्लभ बहुमूल्य अंक संग्रहित हैं। श्री नाहर ने एक ऐसा एलबम भी तैयार किया है जिसमें अनेक पत्र-पत्रिकाओं के मुखपृष्ठों का आकलन है। वैसे जैनों के कई महत्वपूर्ण समृद्ध ग्रंथालय हैं, किन्तु ऐसे बिरले ही हैं जो जैन पत्रिकाओं की व्यवस्थित फाइलें रखते हों। तथापि जो भी जहां भी हमें प्राप्त हो उसके आधार पर हमें जल्दी ही जैन पत्र-पत्रिकाओं का एक बृहद् विवेचनात्मक इतिहास तैयार कराना चाहिए। यह काम किसी संस्था द्वारा सम्पन्न होना चाहिए। यह संग्रह वस्तुतः इतने महत्व का होगा कि इसके द्वारा हम जैन समाज के एक पूरी शताब्दी के सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक और धार्मिक विकास पर प्रकाश डाल सकेंगे।

# प्रेस की रचनात्मक शक्ति का उपयोग

□ **विनोदकुमार मिश्र**

सूचना माध्यमों का आधुनिक मनुष्य के जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है यह हम सब जानते हैं। समाचार पत्र, रेडियो और दूरदर्शन के बगैर यह दुनिया कैसी लगेगी, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कोई राजनेता यदि किसी सभा या समारोह में भाषण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो इतने से वह संतुष्ट नहीं होता है। उसका भाषण जब सूचना माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाता है तभी उसे संतोष मिलता है।

**जनता में छबि :** कोई नेता अच्छा है या बुरा इसका कोई महत्व नहीं है। आम जनता में उसकी छबि साफ-सुथरी होनी चाहिए। यह काम अखबार, रडियो और दूरदर्शन ही कर सकते हैं। इसीलिए इनकी पूछ है। यही इनका महत्व है और यही वजह है कि सिर्फ राजनेता और अभिनेता ही नहीं चोर, उचक्के, डाकू और आतंकवादी भी पत्र-पत्रिकाओं में अपनी गैरकानूनी गतिविधियों की खबरें देखकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। वही कहावत चरितार्थ होती है बदनाम भी होंगे तो क्या नाम नहीं होगा ? सबको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, अच्छी छबि (इमेज) चाहिए।

अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए जून १९८४ में की गई सैनिक कार्यवाही से पूर्व ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ी थी जो यह मानते थे कि समाचार पत्रों में जरनैलसिंह भिंडरावाले जैसे नेताओं के वक्तव्यों और आन्दोलन को जरूरत से ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जिसे महत्व मिलना है वह स्वाभाविक है कि अपने को महत्वपूर्ण व्यक्ति मानने लगता है इन परिस्थितियों में संचार माध्यमों की शक्ति और प्रभाव स्पष्ट हो जाना चाहिए। साथ ही इस शक्ति का सही ढ़ंग से उपयोग करने की कितनी आवश्यकता है, यह भी प्रकट है।

**अच्छे व बुरे राजनीतिज्ञ :** वास्तव में जैसे राजनीति में अच्छे और बुरे लोग हैं वैसे ही प्रेस में भी अच्छे और बुरे पत्रकार हैं। कुछ राजनीतिज्ञों के भ्रष्ट और समाज विरोधी होने के कारण वर्तमान राजनीतिक प्रणाली को समाप्त नहीं किया जा सकता है उसीप्रकार कुछ भ्रष्ट और गैर जिम्मेदार पत्रकारों के कारण भारतीय पत्रकारिता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है न ही प्रेस की स्वतंत्रता को किसीप्रकार सीमित किया जा सकता है।

हम ऐसा मानते हैं कि आज देश किन विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है उनमें पत्रकारों का दायित्व और भी बढ़ जाता है। जो लोग राजनीति में हैं उनसे यह उम्मीद नहीं की जाती कि वे राष्ट्र को नैतिक नेतृत्व प्रदान करेंगे।

महात्मा गांधी जैसे चरित्रवान, कर्मठ, विशाल दृष्टि वाले महामानव हर पीढ़ी में नहीं पैदा होते हैं उनके आने का इंतजार कभी-कभी कई शताब्दियों तक करना पड़ता है।

गांधीजी और नेहरू की बात तो बहुत दूर रही, उस पीढ़ी के दोयम दर्जे के नेताओं की नैतिकता और उदारता भी आज किसी गुजरी हुई सदी की बातें प्रतीत होती हैं। इसलिए समाज को उसकी धुरी पर रखने के लिए प्रेस से अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका के निर्वाह की अपेक्षा की जाती है। भारत में पिछले अनेक वर्षों से राजनीतिक मुठभेड़ का जो वातावरण बना हुआ है उसमें यों तो चुनाव कराना और सरकार बनाना भी बड़ी बात है किन्तु सरकार बनाने और सरकार चलाने के बीच बहुत गहरी खाई दिखाई दे रही है।

वर्तमान राजनीतिक संकट का मूल कारण नैतिकता, आपसी सहयोग और परस्पर विश्वास का घोर अभाव है। देश स्वार्थपरक दलगत राजनीति की दलदल में धंसता चला जा रहा है। जो लोग सत्ता की राजनीति से बाहर हैं वही राष्ट्र की रक्षा की दिशा में प्रभावकारी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए वर्तमान संकट की घड़ी में भारतीय समाचार पत्रों से सार्थक भूमिका के निर्वाह की अपेक्षा करना बहुत ही स्वाभाविक होगा। हमारा प्रेस किस हद तक यह कार्य कर पा रहा है, यह विवाद का विषय हो सकता है लेकिन पत्रकारों और बुद्धिजीवियों पर आज गंभीर दायित्व है, यह एक निर्विवाद तथ्य है।

यह हम सब जानते हैं कि भारत ने ब्रिटेन की तरह ही संसदीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है। पश्चिमी राष्ट्रों की तरह ही हमने भी प्रेस की स्वतंत्रता को स्वीकार किया है। ब्रिटेन, फ्रांस या अमेरिका में प्रेस सरकार का मुखापेक्षी नहीं होता है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं सरकारी सहायता पर नहीं चलती हैं। हमारे संविधान में भी प्रेस को पूरी आजादी हासिल है। भारत में भी बहुत हद तक पाश्चात्य लोकतंत्री परम्पराओं का पालन किया जा रहा है। जो लोग देश को सही लाइन पर लाना चाहते हैं वे सदा प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करेंगे। निष्पक्ष प्रेस का ही जनमानस पर प्रभाव हो सकता है। यदि भारत में समाचार पत्रों की विश्वसनीयता भी नहीं रह जाएगी तो फिर या तो अराजकता फैलेगी या तानाशाही प्रवृत्ति पनपेगी। एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों में यही हो रहा है। हमें इससे सबक लेना चाहिए।

इस संदर्भ में यह स्वीकार करना पड़ेगा कि रेडियो और दूरदर्शन पर तो सरकार का नियंत्रण है लेकिन प्रेस के साथ सरकार किसी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं करती है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश को सही ढ़ंग से चलाना किसी एक राजनीतिक पार्टी या राजनेता के बलबूते की बात नहीं है।

## जैन पत्रकारिता के प्रकाश-स्तम्भ

# पं. नाथूरामजी प्रेमी-१

– अखिल बंसल

प्रेमीजी का जन्म म.प्र. के सागर जिले में देवरी नामक ग्राम में वि.सं. १९३८ सन् १८८२ ई. में परवार समाज में हुआ था। प्रारंभ से ही आप कुशाग्र बुद्धि के थे। टीचर्स ट्रेनिंग परीक्षा पास करने के उपरान्त आप दो वर्षों तक पोस्टमास्टर-डाकपाल रहे। धीरे-धीरे आप साहित्यिक क्षेत्र में आए और प्रेमी उपनाम से कविताएं लिखने लगे। विद्वत्वर्ग में आपकी पैठ बन गई और मुम्बई के सेठ माणिकचन्द्र पानाचन्द झबेरी के सम्पर्क में आए। बम्बई प्रान्तिक सभा ने उन्हें कुछ समय के लिए क्लर्क के पद पर रखा। बाद में आपने मुम्बई को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और वहां 'जैन ग्रंथ रत्नाकर' नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की जिसके माध्यम से अनेक प्राचीन एवं अनुपलब्ध ग्रंथों का प्रकाशन किया। आपने 'हिन्दी ग्रंथ रत्नाकर' की भी स्थापना की और उच्चकोटि का हिन्दी साहित्य तथा इतिहास और शोधपूर्ण सामग्री प्रकाशित कर जन साधारण को उपलब्ध कराई। इस बीच आपने अनेक भारतीय भाषाएं – संस्कृत, प्राकृत, बंगला, गुजराती, मराठी आदि सीख लीं।

जैनमित्र के प्रथम सम्पादक पं. गोपालदासजी वरैया के साथ आप सन् १९०२ में जैनमित्र में सह सम्पादक के रूप में जुड़ गए। आपके क्रांतिकारी विचार जैनमित्र के माध्यम से ही समाज के समक्ष आए। जैनमित्र के चतुर्थ वर्ष के सातवें से नौवें तथा इसके आगे पंचरत्न शीर्षक से आपकी प्रकाशित लेखमाला अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण रहीं। जहां एक ओर इन लेखों से आपकी लेखन प्रतिभा का आभास मिलता है वहीं समकालीन प्रबुद्धता की सूचना भी प्राप्त होती है। पंचरत्न की प्रथम किस्त की निम्न पंक्तियां दृष्टव्य हैं – '१४ लाख जैनियों की बस्ती में एक भी दैनिक पत्र नहीं है, एक भी साप्ताहिक पत्र नहीं है। जब ऐसा हम अपने किसी मित्र के मुख से सुनते हैं, अत्यन्त दुखी होते हैं। हाय! चौदह लाख जैनियों के बीच में चार भी ऐसे पत्र नहीं हैं जो यथार्थ में समाचार पत्र कहलाने

योग्य हों। चार भी ऐसे सम्पादक नहीं हैं जो निकलते हुए 'नाममात्र के पत्रों को पत्र कहलाने योग्य कर सकें। बड़े खेद की बात है। . . . . .' 'जैन हितैषी' मासिक पत्रिका जो कि पं. पन्नालालजी बाकलीवाल के सम्पादकत्व में मुम्बई से प्रारंभ हुई थी एक वर्ष उपरान्त ही पं. नाथूरामजी प्रेमी के सम्पादकत्व में प्रकाशित होने लगी। इस पत्रिका ने शीघ्र ही अपना स्थान बना लिया। इसने लगभग १५ वर्षों तक साहित्य, समाज, धर्म और संस्कृति की उल्लेखनीय सेवा। इस पत्रिका के माध्यम से प्रेमीजी एक कुशल सम्पादक के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। उनके सम्पादकीय जो विविध प्रसंग के रूप में छपा करते थे विशेष महत्व के होते थे।

जैन हितैषी भाग-१२, अंक ७-८, जुलाई-अगस्त १९१६ में प्रकाशित विविध प्रसंग (सम्पादकीय) के शीर्षकों की बानगी इसप्रकार है -

१. लाला लाजपतराय और जैनधर्म, २. दो जातियों में विवाह संबंध, ३. एक जैन जाति का विवाह संबंधी कष्ट, ४. ढाई वर्ष की कन्या और नौ वर्ष का वर, ५. बाल हत्या, ६. एक मुनि और एक विधवा, ७. झालरापाटन में सरस्वती भवन, ८. भारत में शिल्प की आवश्यकता, ९. भूषण पहिनने की कुरीति, १०. एक दान द्रव्य का उपयोग, ११. पर्यूषण पर्व प्राचीन है या अर्वाचीन, १२. माणिकचन्द जैन ग्रंथमाला।

प्रेमीजी के सम्पादकीय लीक से हटकर विचारात्मक होते थे जिनसे समाज में अभूतपूर्व जागृति आने लगी। ऐतिहासिक शोध में आपकी गहन रुचि के कारण सम्पूर्ण दिगम्बर-श्वेताम्बर समाज में आपकी गहरी पैठ थी। विद्वत्वर्ग की उपस्थिति में जैन-अजैन समाज द्वारा आपका अभिनन्दन समारोह आयोजित कर अभिनन्दन ग्रंथ समर्पित किया गया। अभिनन्दन समारोह के स्वागत में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन के अतिरिक्त श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, काका कालेलकर तथा डॉ. ए. एन. उपाध्ये जैसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों ने शिरकत की। हेमचन्द जैन आपके एकमात्र पुत्र थे। विद्याधर मोदी और यशोधर मोदी आपके पौत्र हैं। ३० जनवरी १९६० को आपका निधन हो गया। •

# अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला – श्री क्षेत्र चूलगिरि

डॉ. नलिन के. शास्त्री संबोधित करते हुए

डॉ. संजीव भानावत संबोधित करते हुए

श्री मिलाप चन्द डंडिया संबोधित करते हुए

डॉ. लाडकुमारी द्वारा उद्‌बोधन

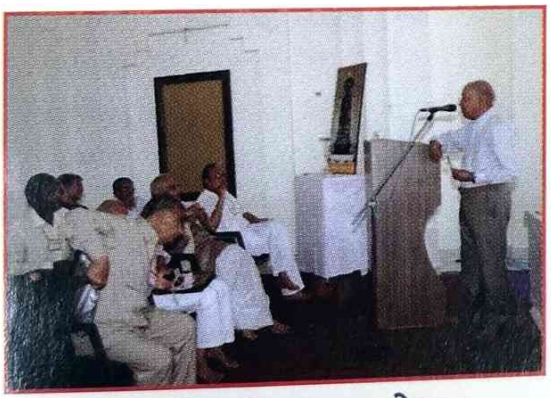

श्री सतीश जैन का उद्‌बोधन

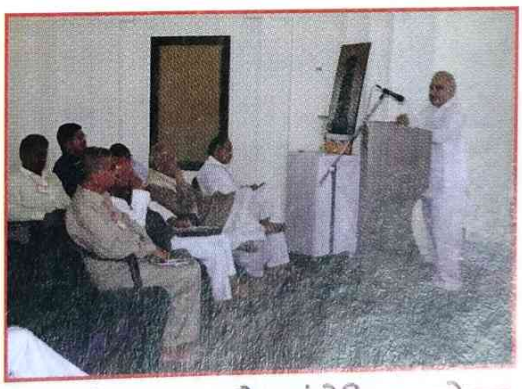

श्री स्वदेश भूषण जैन संबोधित करते हुए

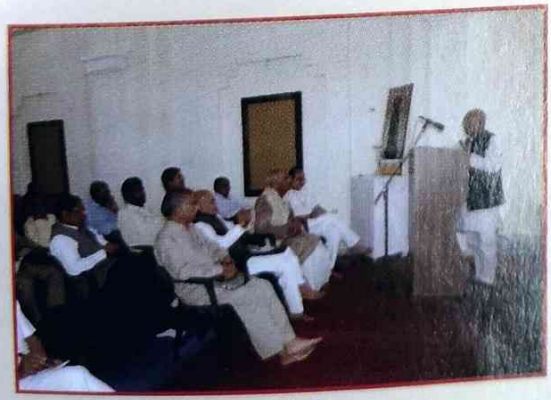

तीर्थ क्षेत्र कमेटी अध्यक्ष
श्री आर. के .जैन संबोधित करते हुए

डॉ. सुशीला पाटनी द्वारा उद्‌बोधन

प्रिय सम्पादक गण

जय जिनेन्द्र

अखिल भारतीय जैन पत्र सम्पादक संघ की समीक्षा बैठक 16 जून 2013, रविवार को श्री कुन्द कुन्द भारती नई दिल्ली में सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेतपिच्छाचार्य श्री विद्यानन्द जी मुनिराज ससंघ के पावन सान्निध्य में सम्पन्न होगी।

आप सभी सम्पादक सदस्यगण सादर आमंत्रित हैं। कृपया आचार्य श्री विद्यानन्द जी की 50वें दीक्षा समारोह पर तत्सम्बन्धी एक आलेख लिखकर अवश्य लावें।

अखिल बंसल

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक अखिल भारतीय जैन पत्र संपादक संघ, जयपुर के लिए संपादक अखिल बंसल द्वारा प्रिन्टोमैटिक्स, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित।